न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 228/2016

अनवान :

1. हनुमान पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी वार्ड नं. 27 गणेशपुरा बास भादरा तहसील भादरा।

– प्रार्थी

बनाम

1. सज्जन पुत्र नोरंगराम कोम महाजन निवासी वार्ड नं. 18 कस्बा भादरा तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 पठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम बाबत सीमांकन चक 10 बारानी के मु.न. 32 के निपटारा किये जाने सीमा विवाद (Boundary Dispute)

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : **प्रार्थी**

वकील श्री कृष्ण गर्ग: **अप्रार्थी सं. 1**

राज पैरोकार: **अप्रार्थी सं. 2**

निर्णय **दिनांक :** 21.2.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि चक 10 बारानी तहसील भादरा में खाता संख्या 151/102 में निम्न लिखित विवरिण की है :– मु. न. 32 के किला नं. 9/3 की 0.0440 हैक्टर, किला नं. 12/3 की 0.0410 हैक्टर कुल किता क्षेत्रफल 0.0850 हैक्टर बारानी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 1 सज्जन कुमार की खाता संख्या 133/102 के मु.न. 32 के किला नं. 9/2 की 0.1400 हैक्टर, किला नं. 12/2 की 0.0660 हैक्टर कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 0. 2060 हैक्टर बारानी कृषि भूमि दर्ज राज़स्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2070–73 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि का नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सज्जन कुमार व प्रार्थी के बीच में प्रार्थी की कृषि भूमि मु.न. 32 के किला नं. 9/3 की 0.0440 हैक्टर बारानी, किला नं. 12/3 की 0.0410 हैक्टर कुल किता कि 0. 0850 हैक्टर बारानी कृषि भूमि जिसके पूर्व में अप्रार्थी सज्जन कुमार की कृषि भूमि मु.न. 32 के किला नं. 9/2 की 0.1400 हैक्टर व किला नं. 12/2 की 0.660 हैक्टर बारानी कुल किता 2 की 0.2060 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट रोशन है, के मध्य 2.95 मीटर कृषि भूमि को लकर सीमांकन का सद्भावी विवाद अन्तर्वलित है तथा अप्रार्थी सज्जन कुमार मिथ्या रूप से प्रार्थी की कृषि भूमि मु.न. 32 के किला नं. 9/3 व किला नं. 12/3 के पूर्व में 2.95 मीटर कृषि भूमि को अपना भाग होना व्यक्त कर रहा है, प्रार्थी ऐसी स्थिति में मु.न. 32 के किला नं. 9/3 की 0.0440 हैक्टर बारानी किला नं. 12/3 की 0.0410 हैक्टर कुल किता 2 की 0.0850 हैक्टर बारानी कृषि भूमि जिसके पूर्व में अप्रार्थी सज्जन कुमार की कृषि भूमि मु.न. 32 के किला नं. 9/2 की 0. 1400 व किला नं. 12/2 की 0.660 हैक्टर कुल किता 2 की 0.2060 हैक्टर कृषि भूमि स्थित के सीमांकन हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अप्रार्थी सज्जन कुमार मिथ्या रूप से प्रार्थी की कृषि भूमि के 2.95 मीटर को अपनी कृषि भूमि का भाग होना व्यक्त कर रहा है, तथा प्रार्थी की कृषि भूमि के भाग पर पुख्ता निर्माण करने पर आमदा है, जिससे प्रार्थी का नापुरा होने वाला नुकसान हो रहा है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी को जरिये स्थाई आदेश पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि जब तक सीमा विवाद का निस्तारण नही हो जाता तब तक मौका रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे व कोई निर्माण नही करें।

प्रार्थना पत्र मान्नीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का है तथा धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तिया अधिसुचना सं. एफ–6(93) Rev/Gr/4/73 S.o 110 Date 5-11-1973 के जरिये माननीय न्यायालय को प्रदत है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। बाद तामील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि " प्रार्थी ने मिन अप्रार्थी के नाम दर्ज मु.न. 32 के किला नं. 9/2 की 0.140 हैक्टर व किला नं. 12/2 की 0.066 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.206 हैक्टर खातेदारी का विवरण दर्ज किया है लेकिन मिन अप्रार्थी की इसी चक की इसी खातेदारी के लगते हुए मु.न. 32 के किला नं. 4 से 7, 14, 15 प्रत्येक की 0.253 हैक्टर, 16 की 0.152 हैक्टर, 17/1 की 0.063 हैक्टर मु.न. 33 के किला नं. 1, 2, 9 से 12, 19 प्रत्येक की 0.253 हैक्टर, 20 की 0.215 हैक्टर, 22/1 की 0.038 हैक्टर इस प्रकार खाता हाजा की कुल 3.757 हैक्टर में अप्रार्थी के नाम दर्ज 0.127 हैक्टर भूमि का विवरण दर्ज नही किया है। मिन अप्रार्थी के दोनो खातो की भूमि का रकबा 0.333 हैक्टर बनता है जिसके मिन अप्रार्थी ने पुख्ता चारदीवारी पक्की ईटों से तामीन कर रखी है तथा मिन अप्रार्थी के कब्जे में जो भूमि है उसकी उतरी भुजा 132.6 फिट दक्षिणी भुजा 132 फिट पूर्वी फुजा 250 फिट व पश्चिमी भुजा 287 फिट नाप की है जिसका कुल हैक्टर 0.330 हैक्टर बनता है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के नाम कागजात में जो रकबा दर्ज है उससे कम भूमि पर उनका कब्जा है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी की चारदीवारी उक्त भूमि को भली भांति जानता व पहचानता है। लेकिन महज मिन अप्रार्थी के विरूद्ध लालचवंश मौजुदा कार्यवाही संचालित कर रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मु.न. 32 के किला नं. 9 व 12 की ही सीमा का सीमाज्ञान करवाने का निवेदन किया है। जबकि खाता विभाजन से पूर्व उक्त खाता हाजा का कुल रकबा 6.566 हैक्टर होता था इसलिए पूरे खाता हाजा के रकबे का नाप किये बगैर यह पता नही लग सकता कि उक्त मु.न. 32 कहा से शुरू होकर कहा समाप्त होता है। इसलिए भी केवल मु.न. 32 के किला नं. 9 व 12 के सीमाज्ञान की मांग करना कतई विधि सम्मत नही है।" इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त वादभूमि मे प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा तक भूमि का नाप करवाकर पूरी की जाये तथा अप्रार्थी सं. 1 की भूमि भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार पूरी होने के बाद ही प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार भूमि की पैमाईस कर भूमि का नाप कर कब्जा पुख्ता किया जाये, तथा वकील अप्राथी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस माना जावे का कथन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का ससम्मान अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने चक 10 बारानी के मु.न. 32 के किला नं. 9/3 व किला नं. 12/3 के पूर्व में 2.95 मीटर कृषि भूमि को अप्रार्थी अपना भाग होना व्यक्त कर रहा है, तथा मु.न. 32 के किला नं. 9/2 व किला नं. 12/2 की 0.2060 हैक्टर बारानी कृषि भूमि के सीमांकन हेतु पैमाईस करने के आदेश व टीम गठित कर पत्थर गढ़ी करवाने तथा राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के हिस्सानुसार दर्ज भूमि को पूर्ण कर शेष भूमि प्रार्थी के हिस्सा में पूर्ण कर पैमाईस कर पत्थर गढी कर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

सीमांकन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा कोई दस्तावेजी खण्डन भी नही किया है। अप्रार्थी नं अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि खाता विभाजन से पूर्व उक्त खाता हाजा का कुल रकबा 6.566 हैक्टर होता था इसलिए पूरे खाता हाजा के रकबे का नाप किये बगैर यह पता नहीं लग सकता कि उक्त मु.न. 32 कहा से शुरू होकर कहा समाप्त होता है। इसलिए भी केवल मु.न. 32 के किला नं. 9 व 12 के सीमाज्ञान की मांग करना कतई विधि सम्मत नही है जबकि वादभूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार एवं भूमि की पैमाईस का कार्य लैण्ड होल्डर तहसीलदार राजस्व भादरा का है कि कौनसा मु.न. व किला नं. की कितनी पैमाईस है तथा पत्थर कहा पर स्थित है। उक्त हस्तगत प्रकरण में धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम सीमांकन में स्पष्ट उल्लेख है कि :–

(1) In case of any dispute concerning any bounaries the Land Record Officer shall decide such dispute] so far possible, on the basis of the exting survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on th basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section, the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the bease entitled to possession and shall then fix boundary accordingly.

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दो पक्षकारों के मध्य सीमा विवाद संबंधी है व प्रार्थी, अप्रार्थी की भूमि पूरी होने के पश्चात अपनी भूमि पूरी करवाना चाहता है, इसके लिए पूरे खाते की पैमाईस किये बिना भी दोनों पक्षकारों के मध्य सीमा विवाद का निस्तारण किया जा सकता है। कोई भी खातेदार काश्तकार अपने हिस्से में दर्ज भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा काश्त नही कर सकता है। वादभूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी की भूमि की पैमाईस एवं सीमांकन किये जाने से प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो को किसी भी प्रकार की हानि नही हो रही है ना ही अप्रार्थी संख्या 01 को इससे कोई नुकसान हों रहा है। जब अप्रार्थी को उसके हक हिस्सा के अनुसार पूरी भूमि मिल रही है व उसको कोई हानि नही है तो प्रार्थी को भी अपने हक हिस्सा अनुसार भूमि का माप पैमाईस करवाने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम बाबत सीमांकन स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करवा कर, प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 की उपस्थिति में चक 10 बारानी के मु.न. 32 के किला नं. 9/2 की 0.1400 हैक्टर व किला नं. 12/2 की 0.660 हैक्टर बारानी भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार पूर्ण कर, प्रार्थी के मु.न. 32 के किला नं. 9/3 की 0.0440 हैक्टर व किला नं. 12/3 की 0.0410 कुल किता 2 की 0.0850 हैक्टर बारानी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार पैमाईस कर मौके पर दोनों पक्षो के मध्य की सीमा पर सीमांकन (Demercation) की जाकर पत्थर गढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
भादरा, जिला हनुमानगढ़

R.A.S.